न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– शंकर लाल सैनी, RAS

अपील संख्या : 17 / 2022

भैरूलाल पुत्र श्री हरदेव, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

1. तहसीलदार, चौमू, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
2. नायब तहसीलदार, चौमू, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

3. ईश्वरनारायण पुत्र श्री झूंथालाल, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
4. ओमशिव भगवान पुत्र श्री झूंथालाल, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील चौमू, जिला–जयपुर।
5. विनोद पुत्री श्री झूंथालाल, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
6. मीनादेवी पुत्री श्री झूंथालाल, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
7. सुशीला पुत्री श्री झूंथालाल, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
8. कानाराम पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
9. गुलाबचन्द पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
10. सागरमल पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
11. नीतू पुत्री श्री जगन्नाथ, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
12. द्वारकाप्रसाद पत्र श्री कालूराम, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
13. नन्दकिशोर पुत्र श्री कालूराम, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
14. सुरेश पुत्र श्री कालूराम, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
15. ओमदेवी पुत्री श्री कालूराम, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
16. मंजूदेवी पुत्री श्री कालूराम, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
17. शांती पुत्री श्री हरदेव, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला जयपुर।
18. लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व0 श्री सतीश कुमार, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
19. घनश्याम पुत्र स्व0 श्री सतीश कुमार, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील चौमू, जिला–जयपुर।
20. सरोज देवी पुत्री स्व0 श्री सतीश कुमार, जाति–बलाई, निवासी–ईटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स,

(अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नायब तहसीलदार, चौमू द्वारा प्रकरण सं0 15/2021 (धारा 91) को पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 के संबंध में।)

उपस्थितः–

1. श्री आर.एस.बुनकर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. पेरोकार सरकार उपस्थित।
3. श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक, रेस्पो. सं0 03 लगा0 20 की ओर से।

निर्णय दिनांक : 27.04.22

यह अपील अपीलान्ट द्वारा ग्राम ईटावा भोपजी स्थित आराजी ख0नं0 3041/3782 कुल रकबा 0.22 हे0 भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार, चौमू द्वारा प्रकरण सं0 15/2021 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर से अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं पेनल्टी कायम किये जाने के विरूद्ध पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट्स को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय नायब तहसीलदार, चौमू से वादग्रस्त प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली प्राप्त की गई।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 03 लगा0 20 के विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस कथन किया कि ग्राम ईटावा भोपजी स्थित आराजी ख0नं0 3040 रकबा 0.76 हे0 किस्म बारानी 2 के साबिक ख0नं0 313/1/5 व 1004/1/5 कुल रकबा 0.76 हे0 में अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा व शेष हिस्सा अन्य काश्तकार तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स का है। ख0नं0 3040 उक्त साबिक खसरा नम्बरान से नये बने है। जिसका शामिलाती रूप से सभी खातेदार काश्तकार बुजुर्गो के समय से उपयोग उपभोग करते आ रहे है। भूमि के चारो ओर तारबंदी कर रखी है व कुए पर विद्युत कनेक्शन ले रखा है। तरमीम सही जगह नही होने के कारण वह पुराने नम्बर पर बिजली कनेक्शन ले कर ख0नं0 3041 में बैठा है, जिसकी खातेदारी दूसरें खातेदारान के नाम है। इस संबंध में उनके द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रैक चौमू में दुरूस्ती का दावा किया गया है। पटवारी हल्का ने दिनांक 11.05.2002, 05.06.2018 व 17.02.2020 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी यह प्रमाणित है कि अपीलान्ट ख0नं0 3040 के स्थान पर 3041 पर बैठे है एवं अन्य खातेदार भी इसी प्रकार दूसरी जगह बैठे है। आस–पास के सभी लोग सही जगह पर नही बैठे है।

ग्राम ईटावा भोपजी तहसील चौमू स्थित आराजी ख0नं0 3041 रकबा 0.78 हे0 के खातेदार काश्तकार गुलाब चंद, चौथमल, लक्ष्मण, सुवा, हीरालाल पुत्रान् भूरा नायक व प्रभात पुत्र मंगला के नाम खातेदारी कृषि भूमि है। ख0नं0 3041/3782 रकबा 0.11 हे0 भूमि खातेदार गुलाब चंद, चौथमल, लक्ष्मण, सुवा, हीरालाल पुत्रान् भूरा नायक व प्रभात पुत्र मंगला नायक की भूमि से बना है, परन्तु जमाबंदी रिकार्ड में भूमि का रकबा कम नही किया है, जो नक्शें व रिकार्ड से प्रमाणित है। सम्वत् 2043 के नक्शे में ख0नं0 3041 का रकबा 0.78 हे0 भूमि व ख0नं0 3040 का रकबा 0.76 हे0 भूमि लम्बी पट्टी के रूप में है। जबकि हाल नक्शा सम्वत् 2078 में ख0नं0 3041 के दो टुकडें

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जयपुर जिला–जयपुर सत्यमेव जयते

कर दिये गये जो ख0नं0 3041 व 3041/3782 है, परन्तु ख0नं0 3041 के रकबे में रिकार्ड जमाबंदी में कोई कमी नही की गई है। ख0नं0 3041/3782 रकबा 0.11 हे0 ख0नं0 3041 का ही भाग है।

ख0नं0 3041 के खातेदारान की भूमि रकबे अनुसार पूर्ण नही होने पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की भूमि ख0नं0 3041 में ख0नं0 3041/3782 की भूमि मौके पर बताते हुए पटवार हल्का द्वारा तहसीलदार, चौमू के समक्ष गलत रिपोर्ट प्रेषित कर दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर नायब–तहसीलदार, चौमू द्वारा ख0नं0 3041/3782 रकबा 0.22 हे0 भूमि को मानते हुए बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रकरण सं0 15/2021 में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 06.12.2021 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये तथा पेनेल्टी स्वरूप वार्षिक लगान राशि 0.33 रूपयें का 50 गुणा अर्थात् 17 रूपयें पेनेल्टी कायम कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नही करवाई तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट को कोई नोटिस जारी नही किया। बिना सुनवाई का अवसर दिये पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त निर्णय पारित कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि पर मौके पर पटवारी हल्का व रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 09.02.2022 को भूमि की नाप–जोख करने पर निर्णय दिनांक 06.12.2021 की अपीलान्ट को जानकारी हुई। जिस पर तत्काल ही दिनांक 10.02.2022 को नकल आवेदन पेश कर निर्णय की प्रति प्राप्त की। अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.12.2021 से दिनांक 10.02.2022 तक की अवधि को कण्डोन करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार की जावें। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Miscellaneous Application No. 21/2022, 665/2021, Suo Motu Writ Petition (C) No. 3/2020 में पारित निर्णय का अवलोकन करवाया गया। विद्वान् अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावें तथा नायब तहसीलदार, चौमू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 को खारिज किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि दिनांक 06.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस बाद तामिल पेश हुए थे। नोटिस तामिल होने के बावजूद भी अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.11.2021 को ग्राम ईटावा भोपजी स्थित ख0नं0 3041/3782 रकबा 0.22 हे0 भूमि पर तार वाउण्ड्री कर कब्जा करने की रिपोर्ट पेश की गई है। सम्वत् 2078 की जमावंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि रिकार्ड अनुसार सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। उप–तहसीलदार, चौमू द्वारा पारित निर्णय विधि–अनुरूप है। अतः अपीलान्ट का धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सहित अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि उसे बिना सुने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। जबकि दिनांक 06.12.2021 को अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित था। जिसके कारण उसके विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि–अनुरूप निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम डिले कण्डोन करते हुए स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों के अनुसार यह स्पष्ट है कि सम्वत् 2043 के नक्शे में ख0नं0 3040 व 3041 लम्बी पट्टी के रूप में है। जबकि वर्तमान के नक्शे में ख0नं0 3040 यथावत् रूप से लम्बी पट्टी के रूप में है। ख0नं0 3041 से नया नम्बर ख0नं0 3041/3782 नवसृजित हुआ है। गत ख0नं0 313/1/4, 313/3/5, 1004/1/4 रकबा 3 बीघा से नये ख0नं0 3041 बने है। जबकि पटवारी हल्का द्वारा ख0नं0 3041 से नये बने ख0नं0 3041/3782 के रकबे 0.22 हे0 को राजस्व रिकार्ड के अनुसार सिवायचक दर्ज होने पर अतिक्रमण की रिपोर्ट की गई है, जो सही है। इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार द्वारा धारा 91 के तहत पारित आदेश की सुनवाई की गई है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि सिवायचक दर्ज है और सिवायचक भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण साबित है। हमारे विचार से तहसीलदार द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण विधि–अनुरूप निर्णय पारित किया गया है।

अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट का रिकार्डेड सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध होने के कारण अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावें।

निर्णय मेरे इजलास आज दिनांक 27.04.22 को सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(शंकर लाल सैनी)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर